वाहन की सार्वजनिक नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि राजभवन के निष्प्रयोज्य वाहन संख्या–UK07GA-1001 (Scoda Superb, मॉडल–2012) एवं वाहन संख्या–UK07GA-7070 (Mahindra Bolero, मॉडल–2013) की सार्वजनिक नीलामी **'जहाँ है, जैसा है'** के आधार पर नीलामी हेतु गठित समिति के सम्मुख दिनांक 13 जुलाई, 2023 को पूर्वाह्न 11:30 बजे राजभवन परिसर, देहरादून में की जायेगी।

इच्छुक बोलीदाता वाहनों को राजभवन परिसर में विज्ञप्ति प्रकाशित होने की तिथि से दिनांक, 12 जुलाई 2023, की सायं 06:00 बजे तक किसी भी कार्यदिवस में देख सकते हैं। नीलामी हेतु बोलीदाता को प्रत्येक वाहन हेतु रू0 5,000/– (रूपये पाँच हजार मात्र) की धनराशि एफ0डी0आर0 के रूप में वित्त नियंत्रक श्री राज्यपाल के पक्ष में बन्धक करते हुए दिनांक 12 जुलाई 2023, तक लेखा अनुभाग, राज्यपाल सचिवालय में जमा कर रसीद/टोकन प्राप्त करना होगा। नीलामी के सम्बन्ध में अन्य निर्धारित नियम, शर्तें राज्यपाल सचिवालय से किसी भी कार्यदिवस में दिनांक 12 जुलाई 2023, तक प्राप्त की जा सकती है।नीलामी हेतु निर्धारित नियम/शर्तें राजभवन की वेबसाइट **www.governoruk.gov.in** पर देखी/डाउनलोड की जा सकती है।

एन0के0 पोखरियाल
उपसचिव श्री राज्यपाल,
राज्यपाल सचिवालय, उत्तराखण्ड।

राजभवन के निष्प्रयोज्य घोषित वाहन संख्या–UK07GA-1001 (Scoda Superb, मॉडल–2012) एवं वाहन संख्या–UK07GA-7070 (Mahindra Bolero, मॉडल–2013) की सार्वजनिक नीलामी सम्बन्धी आवश्यक शर्तें

1. निष्प्रयोज्य वाहन संख्या–UK07GA-1001 (Scoda Superb, मॉडल–2012) एवं वाहन संख्या–UK07GA-7070 (Mahindra Bolero, मॉडल–2013) की सार्वजनिक नीलामी **"जहाँ है, जैसा है"** के आधार पर राजभवन द्वारा गठित समिति के माध्यम से राजभवन परिसर, देहरादून में दिनांक 13 जुलाई 2023 को समय पूर्वाह्न 11:30 बजे से की जायेगी।

2. निष्प्रयोज्य वाहन राजभवन परिसर में खडे हैं। इच्छुक व्यक्ति इन्हें नीलामी हेतु निर्धारित तिथि से एक दिन पूर्व तक किसी भी कार्यदिवस में देखे जा सकते हैं।

3. बोलीदाताओं को सार्वजनिक नीलामी की कार्यवाही में सम्मिलित होने के लिए प्रवेश हेतु प्रत्येक वाहन हेतु धरोहर राशि के रूप में रू0 5,000.00 (रू0 पांच हजार मात्र) की धनराशि एफ0डी0आर0 के रूप में वित्त नियंत्रक श्री राज्यपाल के नाम बंधक करते हुए नीलामी हेतु निर्धारित तिथि से पूर्व दिनांक 12 जुलाई 2023 तक राज्यपाल सचिवालय में जमा कर रसीद/टोकन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा और जिस वाहन हेतु टोकन प्राप्त किया गया है, टोकन प्राप्त करने वाला व्यक्ति उसी वाहन की नीलामी हेतु बोली लगाने के लिए अधिकृत होगा।

4. उच्चतम दो सफल बोलीदाताओं की धरोहर राशि को छोड़कर शेष बोलिदाताओं की धरोहर राशि की एफ0डी0आर0 वापस कर दी जायेगी।

5. उच्चतम बोलीदाता द्वारा नीलामी की कार्यवाही समाप्त होने पर बोली की 50 प्रतिशत धनराशि उसी दिन लेखा अनुभाग, राज्यपाल सचिवालय में नकद/बैंक ड्राफ्ट, जो वित्त नियंत्रक श्री राज्यपाल के पक्ष में देय हो, के माध्यम से जमा करनी होगी तथा शेष धनराशि 03 कार्य दिवसों के अंदर जमा कर निष्प्रयोज्य घोषित वाहन की डिलीवरी प्राप्त करनी होगी।

6. यदि उच्चतम बोलीदाता समय सीमा के अन्तर्गत शेष धनराशि जमा करने में असफल होते हैं तब ऐसी स्थिति में दूसरे सफल बोलीदाता के नाम निष्प्रयोज्य वाहन को प्रथम उच्चतम बोलीदाता की दरों पर छोड़ने पर विचार किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में प्रथम सफल बोलीदाता की धरोहर के रूप में जमा जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी।

7. नीलामी बोली संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक) द्वारा निर्धारित मूल्य से कम पर नहीं बोली जायेगी।

8. वाहन के सफल बोलीदाता को वाहन का पंजीकरण अपने पक्ष में वाहन की डिलीवरी प्राप्त करने के 30 दिनों के भीतर स्वयं हस्तान्तरित कराया जाना अनिवार्य होगा, जिस पर होने वाले व्यय का खर्च क्रेता द्वारा स्वयं वहन करना होगा। क्रेता द्वारा वाहन का पंजीकरण हस्तान्तरण किए जाने के उपरान्त ही धरोहर राशि रू0 5,000/– की एफ0डी0आर0 क्रेता को वापस किया जायेगा।

.../2

9. यदि कोई आयकर/व्यापार कर/GST अथवा अन्य कोई कर नियमानुसार देय होगा तो वह क्रेता द्वारा वहन किया जायेगा तथा सम्बन्धित विभाग को भुगतान कर उसी रसीद/चालान की प्रति वाहनों की डिलीवरी होने से पूर्व लेखा अनुभाग, राज्यपाल सचिवालय में जमा करना होगा। तत्पश्चात् ही वाहन की डिलीवरी की जायेगी।

10. उच्चतम बोलीदाता को वाहन प्राप्त करने से पूर्व पहचान हेतु आवश्यक प्रमाण पत्रों यथा फोटो पहचान पत्र, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि में से कोई समुचित प्रमाण प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

11. उच्चतम बोलीदाता, जिसके नाम नीलामी स्वीकृत की जायेगी, बोलीदाता को सम्बन्धित वाहन हस्तान्तरण की कार्यवाही के तत्काल बाद स्वयं के व्यय पर उठाना होगा।

12. निष्प्रयोज्य वाहन की सार्वजनिक नीलामी की कार्यवाही के किसी परिवाद का न्याय क्षेत्र देहरादून मुख्यालय होगा।

13. सचिव श्री राज्यपाल को यह पूर्ण अधिकार होगा कि वह नीलामी को बिना कारण बताते हुए अस्वीकार कर सकते हैं और पुनः नीलामी की कार्यवाही कर सकते हैं।

14. उपरोक्त शर्तों के विषय में तथा नीलामी के दौरान अथवा किसी समय विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में सचिव श्री राज्यपाल का निर्णय अंतिम रूप से मान्य होगा।

15. यदि नीलामी समिति के संज्ञान में यह तथ्य आता है कि बोली बोलने वाले व्यक्तियों के द्वारा आपस में गिरोह बना लिया गया है और वाहन का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है तो नीलामी की कार्यवाही तत्काल निरस्त कर दी जायेगी।

16. नीलामी की सूचना एवं शर्तें राजभवन की वेबसाइट www.governoruk.gov.in पर उपलब्ध हैं।

***